



उद्घरण खतौनी

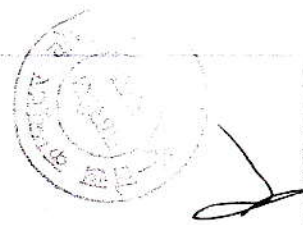
उद्घरण क्रमांक : 21905120181220

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00052	डी.के.एस. शिक्षा प्रचार समिति / . / . पंचशील कालोनी मेरठ द्वारा / . / . धर्मेन्द्र कुमार शर्मा / बनारसी दास शर्मा / 65/418 पंचशील कालोनी मेरठ आदित्य शिक्षा व संस्कार / . / . प्रसार समिति, जाटान / . / . लिसाडी गेट मेरठ द्वारा / . / . अध्यक्ष रमेश कुमार पुत्र / . / . गिरवर सिंह / . / . उपाध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला / . / . पति महेन्द्र सिंह / . / . प्रबन्धक श्री अशोक कुमार / . / . सैनी एडवोकेट पुत्र गिरवर / . / . सिंह व उपप्रबन्धक / . / . राजकुमार पुत्र गिरवर सिंह / . / . निवासीगण ग्राम लिसाडी गेट / . / . परगना व तहसील जिला / . / . मेरठ / . / .	1414	227	1.3540		1421 फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/ आर0ए0/परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013 -परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खता सं0 00072 के खसरा सं0 227 रकबा 1.3540 हे0 में से 0.6768 हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खता सं0 00073 के खसरा सं0 228/1/1 रकबा 0.4300 हे0, लगानी 12.95/- सं0 को अतिरिक्त भूमि घोषित किया जाता है तथा परतानुगत माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं
-------	---	------	-----	--------	--	--



महेन्द्र सिंह / गिरवार सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 राकेश कुमार / गिरवार सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 राजकुमार / गिरवार सिंह / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 आदित्य सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 ऋषभ सैनी / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 राजरानी सैनी पति / अशोक कुमार सैनी / 135 जाटान स्ट्रीट मेरठ
 अरविन्द / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ
 अश्वनी / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ
 अनुज / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ
 अमित / गिरधारी / 119 गांधीनगर मेरठ

करेगा। यदि मेरठ विकास

प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरित यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। ह0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह0 र0का0 5-9-13

1425फ० न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। बाद संख्या 32/2017 धारा 32/38 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 आदित्य शिखा व संस्कार प्रसार समिति बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 621/आ०५०/परवाना अमलदरामत/2017 दिनांक 13-07-2017 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08-07-2017 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:- स्थित ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 227 रकबा 1.3540 है० से अरविन्द, अश्वनी, अनुज, अमित पुत्राण गिरधारी निवासीगण 119 गांधीनगर मेरठ के नाम की प्रविष्टि समाप्त कर खतौनी को दुस्त किया जाता है। ह० (संतोष बहादुर सिंह) उप जिलाधिकारी, मेरठ/1191-A/17-7-17/C-20-7-17

0

6

₹ 40.75

1.3540

1

कुल गेटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव तीन पाँच चार शतक (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार शतक दशमलव सात पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH



सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जन्मपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:06:35

उपरोक्त अरण खतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in/Website> पर जाकर किया जा सकता है।

यह अरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 21905120181221

ग्राम क्रमांक : 219051		ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी(मेरठ)		तहसील : सदर	जनपद : मेरठ	फसली वर्ष : 1422-1427		भाग : 1	
खाला खतौनी क्रम संख्या	खालेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाले के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खालेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी		
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13		

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00053 डी0के0एस0शिक्षा प्रसार समिति / . / .
रजि0 3211 दि0 31.3.93 / . / .
मेरठ द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार / . / .
शर्मा पुत्र बी0डी0शर्मा नि065/4 / . / .
गली-8 पंचशील कालोनी मेरठ / . / .

1421फ न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 253/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट डी0के0एस0 शिक्षा प्रसार समिति, द्वारा सचिव धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सरकार ग्राम सरायकाजी परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 669/आ0ए0/ परवाना/2013 दिनांक 29-08-2013

-परवाना अमलदरामद- उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29-08-2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है- ग्राम सरायकाजी स्थित भूमि खाला स0 00072 के खसरा स0 227 रकबा 1:3540हे0 में से 0.6766हे0 भूमि लगानी परतानुसार तथा खाला स0 00073 के खसरा

स0 228/1/1 रकबा 0.4300हे0, लगानी 12.95/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा पता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 20-08-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं तथा

मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई श्रॉट/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमिता (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास

Q

0.4300	₹ 12.95	5
--------	---------	---

कुल गाटे- एक
कुल क्षेमफल- शून्य दशमलव चार तीन शून्य शून्य (हेक्टेयर)
कुल भूराजस्व - एक दो दशमलव नौ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH



सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 11-12-2018 12:07:28

उपरोक्त उद्घरण छतौनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

❶ यह उदरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।



उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 21905120181226

ग्राम क्रमांक : 219051 ग्राम का नाम / परगना : सराय काजी (मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खता खतौनी क्रम संख्या	खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

00016	आबिद अली / एजाजुद्दीन / 55, तोपचीवाड़ा मेरठ अब्दुलबहाब / एजाजुद्दीन / 55, तोपचीवाड़ा मेरठ साजिद / एजाजुद्दीन / 55, तोपचीवाड़ा, मेरठ	1386	226	1.0560		1425फ० अदेशासुसार नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ वाद सं० T201711522012668/02-8-17 को आदेश हुआ कि ग्राम सरायकाजी परगना मेरठ के खता सं० 16 के गाटा संख्या 226/1.0560 है० भूरा० 45.95 र० के अपने भाग में से क्षेत्र 0.3520 है० से विक्रेतागण आबिद अली व अब्दुल बहाब पुत्रगण एजाजुद्दीन नि०गण 55 तोपचीवाड़ा मेरठ शहर के नाम निस्त करके केला डी०के०एस० शिक्षा प्रसार समिति पंजीकृत कार्यालय पंचशील कालोनी गढ़ रोड मेरठ द्वारा सचिव धर्मनंद कुमार शर्मा पुत्र बनारसी दास शर्मा नि० 65/4/8 पंचशील कालोनी मेरठ शहर का नाम बजाय विक्रयपत्र दिनांक 13-06-2017 बतौर संक्रमणीय भूमिधर अभिलेख में दर्ज होवे। ह०अ० नायब तहसीलदार चतुर्थ मेरठ 2-8-17/C-5-8-17	1	1.0560	₹ 45.95	1	0
-------	---	------	-----	--------	--	---	---	--------	---------	---	---

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव शून्य पाँच छः शून्य (हक्टेयर) कुल भू-राजस्व - चार पाँच दशमलव नौ पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: RAMBIR SINGH



सक्षम अधिकारी: SNEH TIWARI

तहसील: सदर जनपद: मेरठ

दिनांक एवं समय: 14-12-2018 10:34:12

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वैरिफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in/Website> पर जाकर किया जा सकता है।

① यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

11/11/0

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

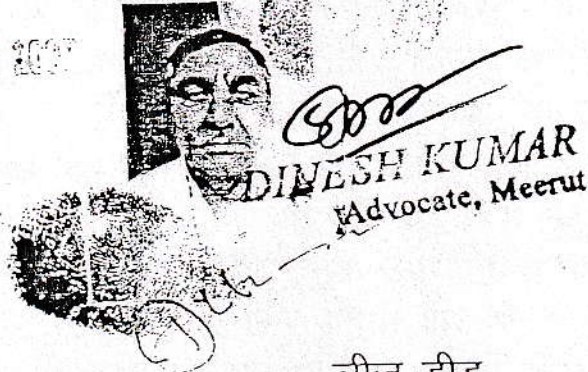
Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239041

7 6 NOV 2007



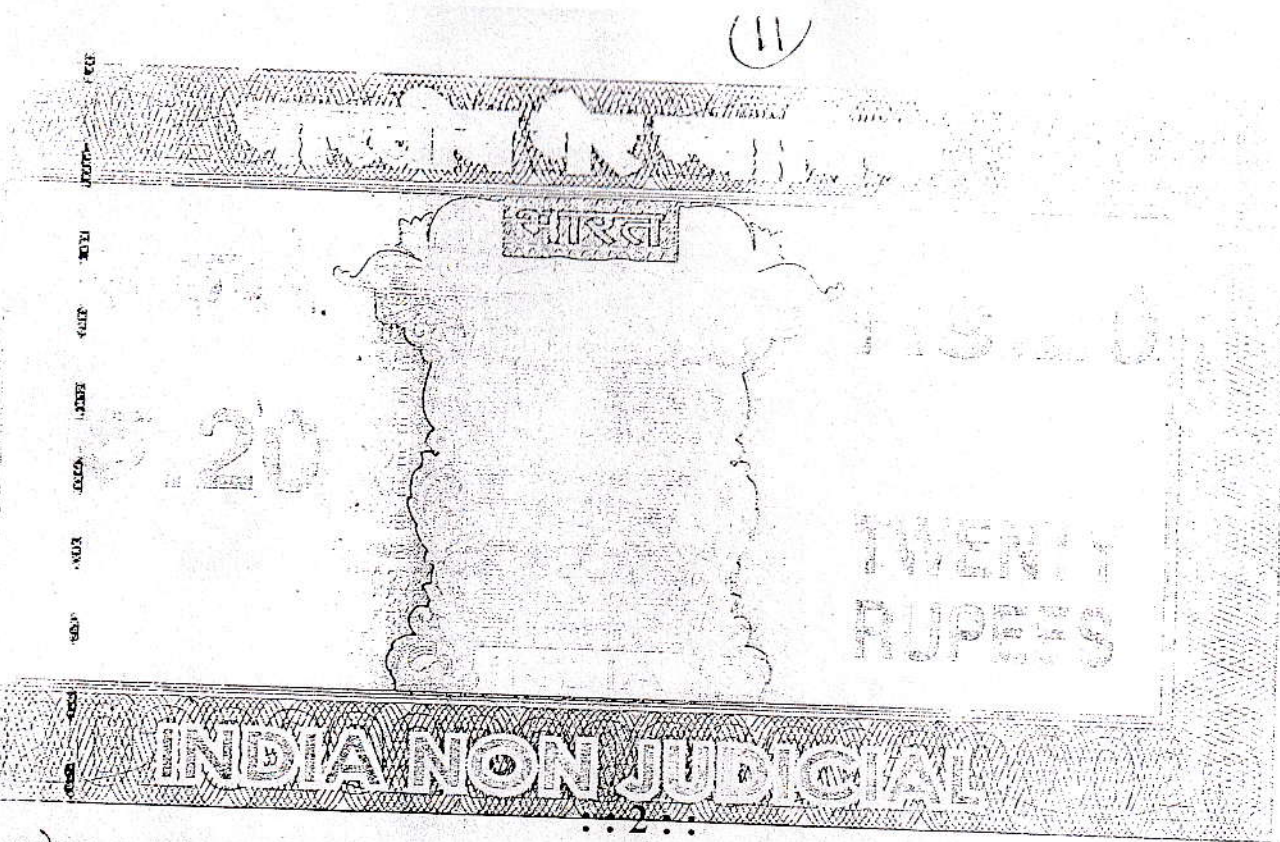
लीज डीड

हम कि डी०के०एस० शिक्षा प्रसार समिति द्वारा सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री बनारसीदास शर्मा निवासी 65/4/8, पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ शहर—प्रथम पक्ष॥

एवम्

बी०डी०एस० स्कूल ऑफ लॉ स्थित सैक्टर-8, जागृति विहार, (मैडिकल कॉलिज के सामने) गढ़ रोड, मेरठ द्वारा चेयरमैन श्री डी०के० शर्मा पुत्र श्री बी०डी० शर्मा—द्वितीय पक्ष॥

जो कि भूमि खसरा संख्या 228/1/1 क्षेत्रफल 4300 वर्ग मीटर व खसरा संख्या 227 क्षेत्रफल 1.354 एक दशमलव तीन पांच चार हैक्टेयर का 1/2 भाग 0.6770 हैक्टेयर यानि कुल क्षेत्रफल लगभग 12000 वर्ग मीटर स्थित

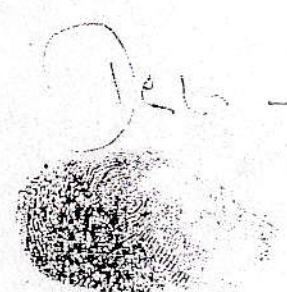


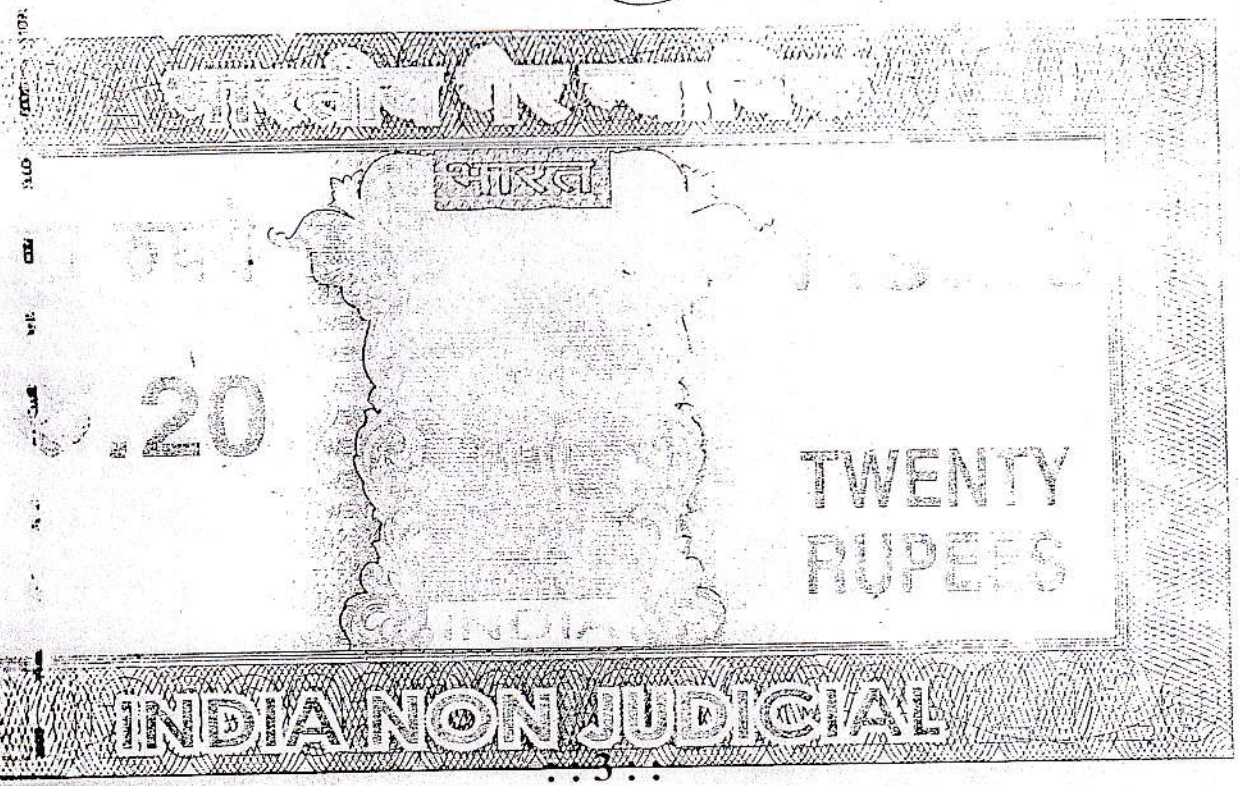
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ग्राम सराय काजी परगना व तहसील व जिला मेरठ वर्तमान 224A/403704
विहार, गढ़ रोड, मेरठ जो कि नगर निगम मेरठ की सीमा क्षेत्र में है, के
प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी व वास्तविक कब्जा अधिकारी है, में से प्रथम
पक्ष ने 1200 वर्ग मीटर भूमि द्वितीय पक्ष बी०डी०एस० स्कूल आफ लॉ
(तृतीय वर्ष) को शिक्षा के प्रयोजन हेतु एल०एल०बी पाठ्यक्रम के संचालन
करने के लिए पूर्व में प्रदान कर दी थी तथा 3800 वर्ग मीटर भूमि
मानकनुसार कुल 5000 वर्ग मीटर भूमि उपरोक्त पाठ्यक्रम तृतीय एवं पांच
वर्षीय का संचालन करने के लिए प्रदान कर दी है।

यह कि इस उपरोक्त भूमि के खसरा संख्या 227 व सम्मिलित
228/1/1 में एक भवन दो मंजिला बना हुआ है जिसका नव निर्मित
आच्छादित क्षेत्रफल 16000 वर्ग फिट है, जो कि समस्त संसाधनों एवं
फर्नीचर आदि से सुसज्जित है।

यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति को जो कि विलेख की
धारा एक व दो में वर्णित है, को द्वितीय पक्ष को एल०एल०बी० तृतीय वर्ष
व पंच वर्षीय पाठ्य क्रम के संचालन करने हेतु 850/- आठ सौ पचास
रुपये सालाना लीज पर द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया है।





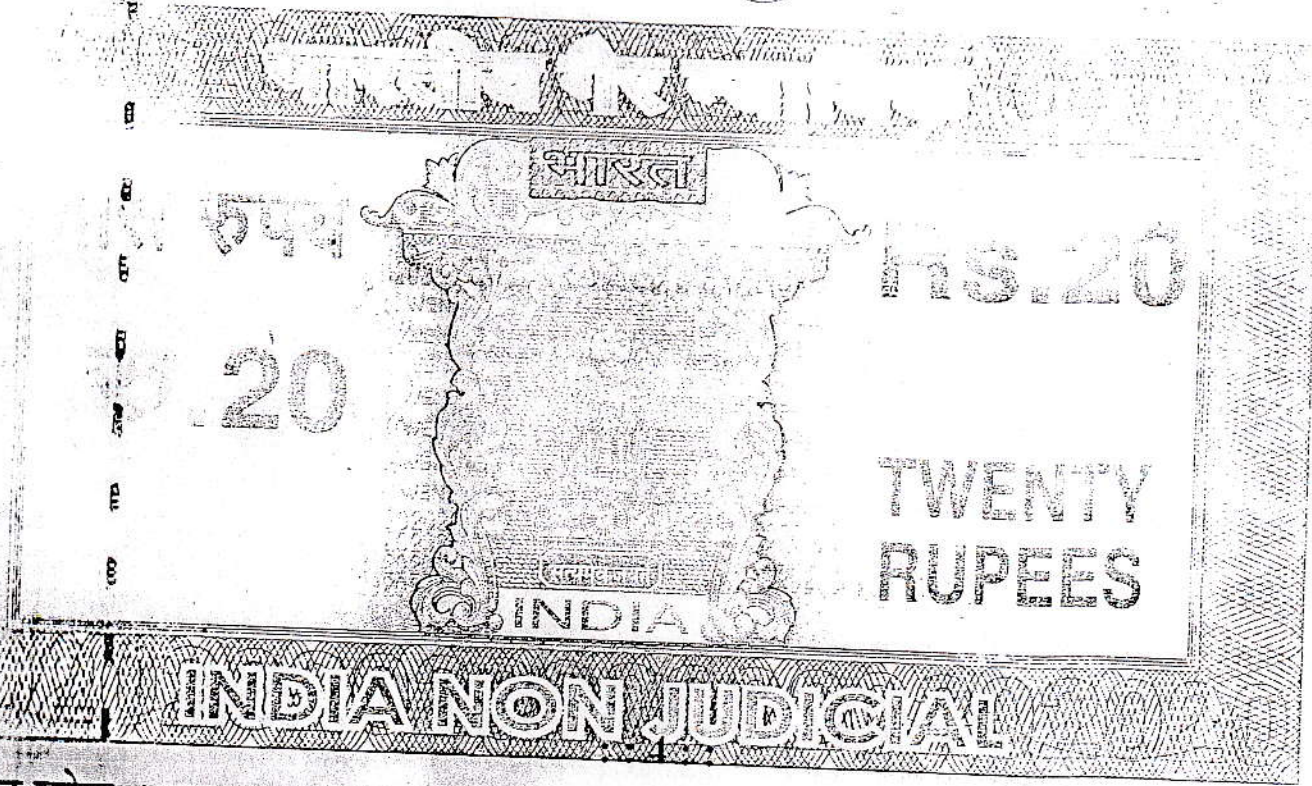
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. इस लीज की अवधि तीस वर्ष है जो दिनांक 01.08.2008 से 01.08.2036 तक है। जोकि सालाना आधार पर है तथा दिनांक 31.07.2036 तक कायम रहेगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति का स्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को केवल एल0एल0बी0 पाठ्यक्रमों के संचालन कार्य हेतु प्रयोग में लाने के अधिकारी रहेंगे। इनके इस अधिकार में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अंकन 850/- आठ सौ पचास रुपये प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की प्रथम माह में चेक द्वारा अथवा नकद अदा करते रहेंगे तथा उसकी रसीद प्राप्त करते रहेंगे बिना रसीद कोई किराया मान्य नहीं होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को केवल शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए प्रयोग में ला सकेंगे तथा इसमें आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य प्रथम पक्ष की अनुमति से करने के अधिकारी होंगे।
5. यह कि रंगाई पुताई आदि का समस्त खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगा तथा गृहकर सम्बन्धी खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेगा।

156

156

(13)



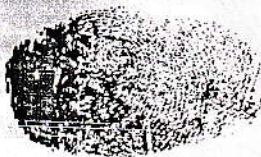
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष अपने नाम Q2AA 103706 कनैक्शन प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे तथा उससे सम्बन्धित विद्युत उपयोग का भुगतान स्वयं द्वितीय पक्ष करेंगे किसी भी विद्युत बिल के बकाया की अदायेगी का वास्ता प्रथम पक्ष से नहीं होगा।
7. यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त भवन में कथित शिक्षा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करेंगे। प्रथम पक्ष अथवा उनकी उपरोक्त सम्पत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8. यह कि उपरोक्त नियमों के उभय पक्ष पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। अतः यह लीज डीडी अवधि तीस वर्ष लिख दी कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। फक्त।।

सीमाये उपरोक्त सम्पत्ति

- पूरब : कॉलोनी, सोमदत्त विहार।
पश्चिम : सड़क आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश।
उत्तर : खाली भूमि व भवन बी0डी0एस0 इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट।
दक्षिण : भूमि समिति।

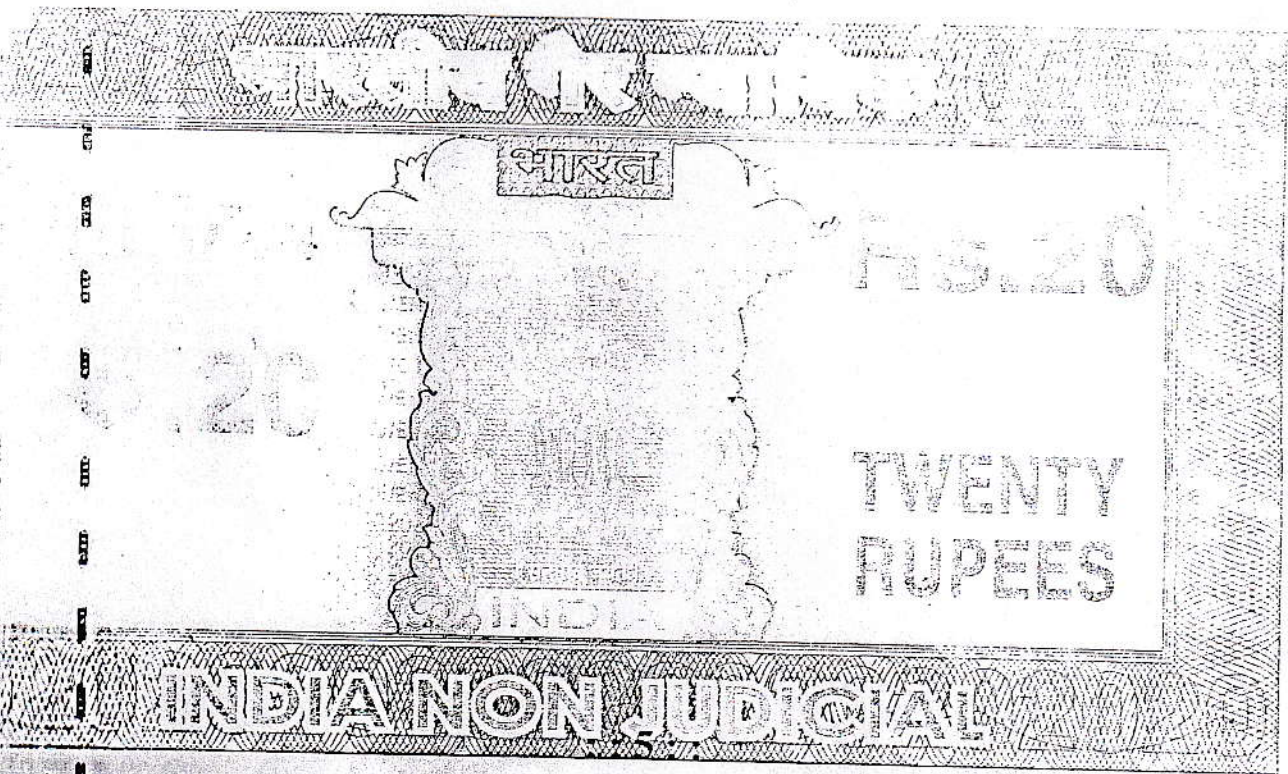
121-



121-



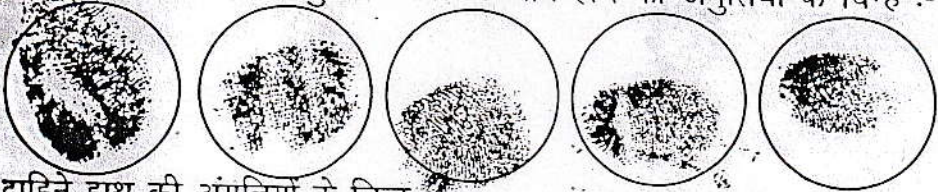
14



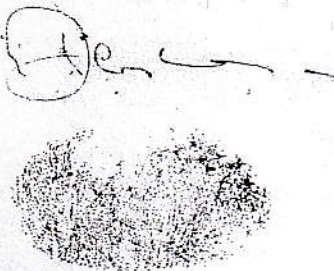
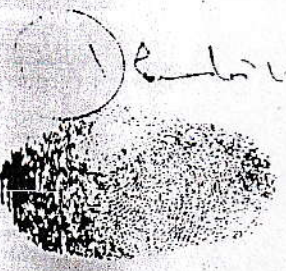
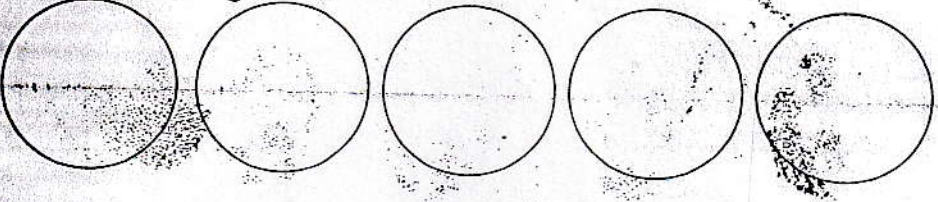
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु दिनांक 02/11/2017

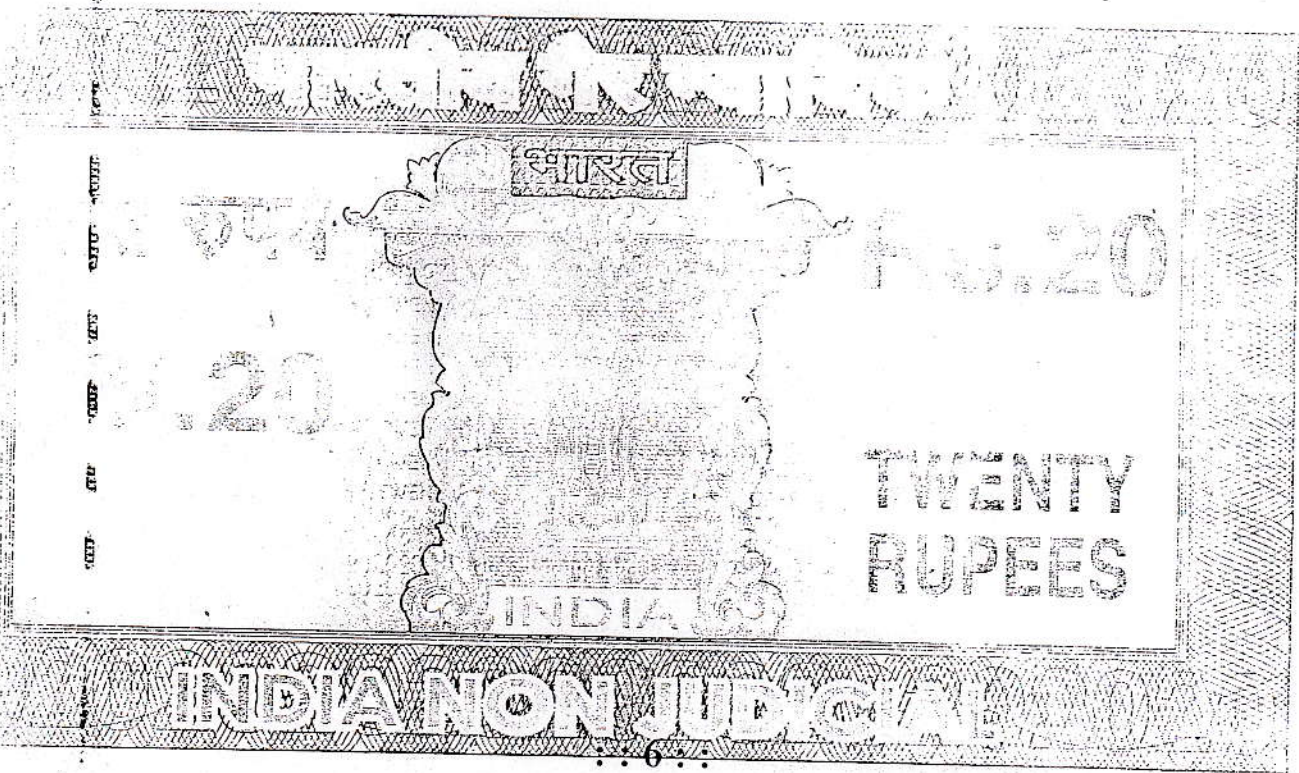
प्रथम पक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



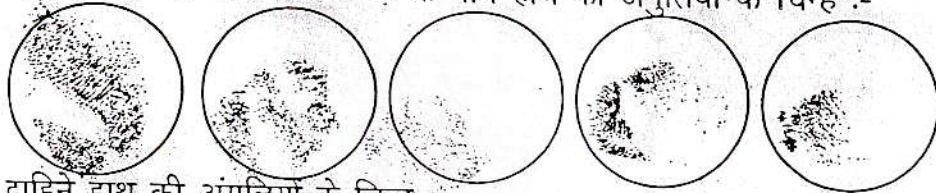
(15)



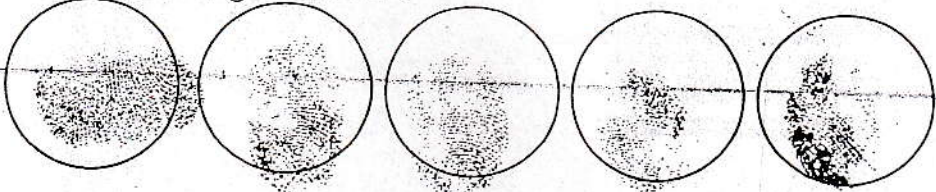
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु 62AA/403708

द्वितीय पक्ष श्री डी०के० शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



D.K. Sharma

D.K. Sharma

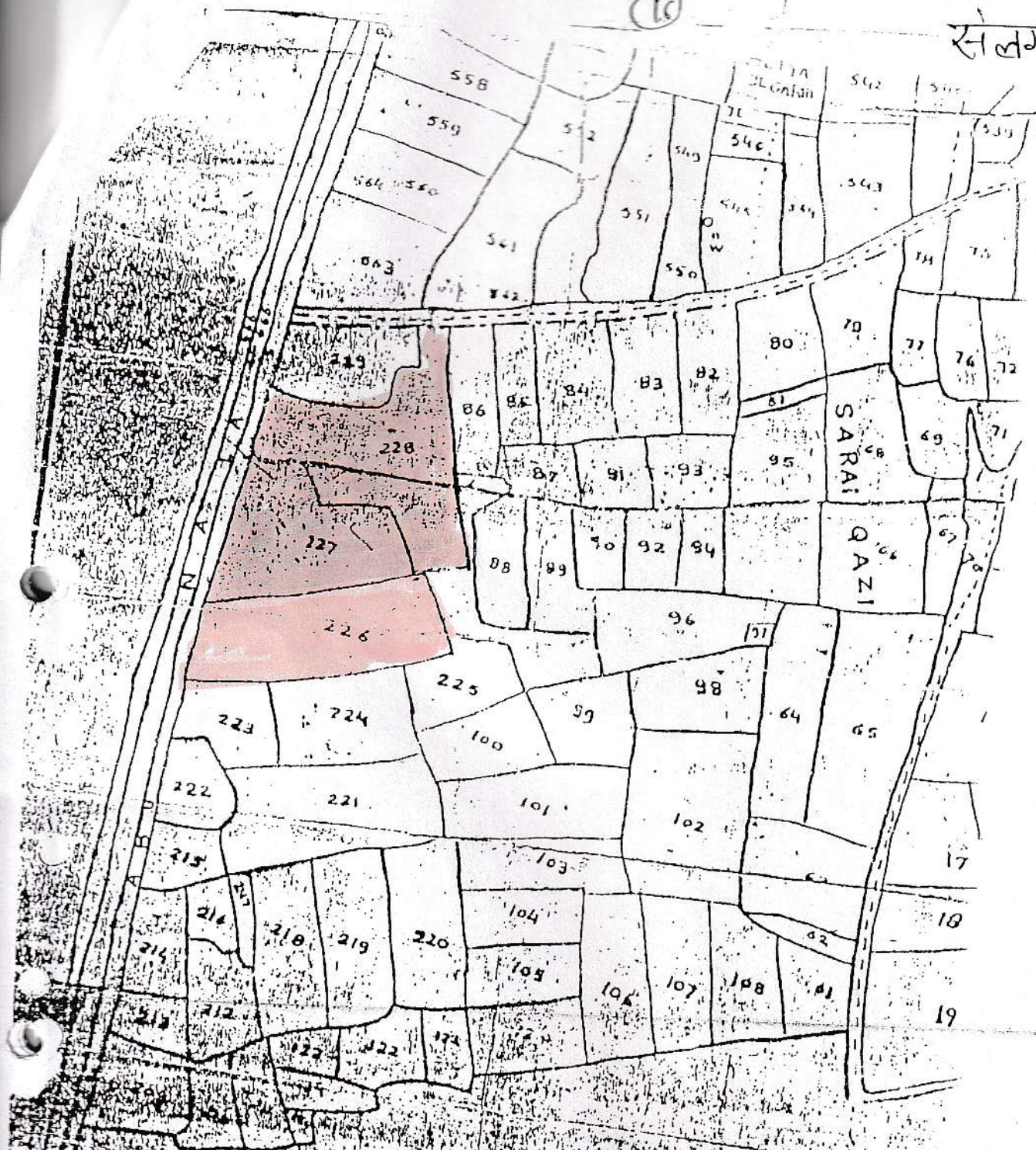


No - 62AA/403708
Manoj Kumar Sharma
Advocate Meerut
Regd. No. 8627/2000

No - *[Signature]*
DINESH KUMAR
Advocate, Meerut

लिखित तिथि : 06.12.2007 ई० मसविदा श्री दिनेश कुमार, एडवोकेट, मेरठ ।।

[Signature]
D.K. Sharma
Advocate, Meerut



योजना हेतु अर्जित की जाये वाली भूमि

